

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 181/11

संस्थापन दिनांक:-01/07/11

फाईलिंग नं. 2335040003922011

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

साधु पिता नरेश बसदेवा
 उम्र 30 वर्ष, निवासी रानीडोंगरी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 17.05.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 08.06.2011 को रात करीब 10:00 बजे थाना आमला से 10 किमी. पूर्व ग्राम रानीडोंगरी स्थित फरियादी हेमराज के घर में फरियादी हेमराज के साथ धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.06.2011 को रात करीब 10:00 अभियुक्त फरियादी हेमराज के घर उसकी लड़की से रिश्ते की बात करने आया जिस पर फरियादी ने अभियुक्त से रिश्ता करने से मना किया तो अभियुक्त ने उसे मादरचोद बहनचोद की गालियां दी। फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसे कुल्हाड़ी से मारा जिससे उसे माथे पर बांये तरफ चोट आयी। अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना आमला में अपराध क. 167/11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक कुल्हाड़ी मय बेसा के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 451, 294, 506 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.06.2011 को रात करीब 10:00 बजे थाना आमला से 10 किमी. पूर्व ग्राम रानीडोंगरी स्थित फरियादी हेमराज के घर में फरियादी हेमराज के साथ धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

6 हेमराज (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना 10 साल पुरानी ग्राम रानीडोंगरी में उसके घर के आंगन की है। घटना के समय अभियुक्त ने उसकी लड़की से रिश्ते की बात को लेकर उसके गाल में चांटे से मार दिया था जिससे वह गिर गया था जिससे उसे सीधे गाल पर चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) थाने में की थी। अभियोजन का पूर्ण समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसे कुल्हाड़ी से मारा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात को सही होना बताया है कि अभियुक्त ने उसे कुल्हाड़ी से चोट नहीं पहुंचायी थी।

7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ विवाद किया जाना तथा विवाद में चाटा मारने से गिरने से फरियादी को चोट आना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में राजीनामा आवेदन स्वीकार कर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका है परंतु अभियुक्त द्वारा फरियादी को कुल्हाड़ी से मारपीट कर चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 324 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से

परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी हेमराज के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त साधु को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्त के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

9 प्रकरण में जप्त सुदा एक लोहे की कुल्हाड़ी मय बेसा के अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)